[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 29th August, 2014]

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

(समितियां)

अधिसूचना

दिनांक 29 अगस्त, 2014

संख्याः 14/8/2014–4 कII.—हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम 16) की धारा 149 की उप–धारा (1) के साथ पठित धारा 87 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का0 आ0 85/ह0 अ0 16/1994/धा0 87/2013, दिनांक 11 अक्तूबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का0आ0 85/ह0अ0 16/1994/धा0 87/2013, दिनांक 11 अक्तूबर, 2013 में, पैरा 4 में, उप पैरा (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उप–पैरा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"(iii) जिन्होंने कर पहले ही जमा कर दिया है, तो अधिक राशि, यदि कोई हो, को वर्ष 2014–15 के लिए सम्पत्ति कर के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा। यदि अधिक राशि इस समय तक शेष रह जाती है, तो उसे सम्बद्ध नगर निगम द्वारा बिना ब्याज के कर दाता को वापस की जायेगी।"

पी० राघवेन्द्र राव,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

52616—C.S.—H.G.P., Chd.

[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 29th August, 2014]

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

(COMMITTEES)

Notification

The 29th August 2014

No. 14/8/2014-4CII.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 87 read with Sub-section (1) of Section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No.S.O.85/H.A.16/1994/S.87/2013, dated the 11th October, 2013, namely:—

Amendment

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O.85/H.A.16/ 1994/S.87/2013, dated the 11th October, 2013 in para 4, for sub-para(iii), the following sub-para shall be substituted, namely :—

"(iii) Those who have already deposited the tax, the excess amount, if any, shall be adjusted against property tax for the year 2014-15. If the excess amount is still in balance the same be refunded to the tax payer, without interest, by the Municipal Corporation".

P. RAGHAVENDRA RAO,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

52616—C.S.—H.G.P., Chd.